

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
जमुई ।

पटना, दिनांक : 10 - 9 - 2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) प्राथमिक ईकाई में कुल ₹4,14,182/- ( चार लाख चौदह हजार एक सौ बेरासी ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18 एवं 28(7)ब दिनांक-06.09.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) प्राथमिक ईकाई में कुल ₹4,14,182/- ( चार लाख चौदह हजार एक सौ बेरासी ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
10. यह आवंटन सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-17949/2017 सत्यजीत कुमार प्रियदर्शी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में दी जा रही है ।
11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

10/9/18

( राधेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 29 (7) a

पटना, दिनांक : 10-9-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, झांझा, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

10/9/18

सरकार के विशेष सचिव

10/9/18

## विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आवंटन

क्रम	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	जमुई	414182	CWJC No. 17949/17
	कुल	414182	

(चार लाख चौदह हजार एक सौ बेरासी रू०) मात्र

सरकार के विशेष सचिव

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	2919120000	0	2919120000	3080026000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	440802400	0	440802400	459069600
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	465436200	0	465436200	494426800
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	950000	0	950000	980000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	152352000	75723200	0	75723200	76628800
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	58306800	0	58306800	61675200
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	8138145000	3960338600	0	3960338600	4177806400
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000000	996564	414182	1410746	3589254
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	6400000	2851800	0	2851800	3548200
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9200000	3505000	0	3505000	5695000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	23000000	8580000	0	8580000	14420000
12	दूरभाष (0001-13-03)	10000000	4360000	0	4360000	5640000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	30020000	0	30020000	9980000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	950000	0	950000	1050000
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	6390000	3018500	0	3018500	3371500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	7500000	2810500	0	2810500	4689500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	66200000	26973000	0	26973000	39227000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	660000000	293100000	0	293100000	366900000
20	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	100000000	49128000	0	49128000	50872000
21	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	1000000000	476170000	0	476170000	523830000
24	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04)	1500000000	718412000	0	718412000	781588000
25	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	30000000	11927000	0	11927000	18073000
	कुल योग:-	11658836000	5593140964	414182	5593555146	6065280854

29 (7)A

10-9-18

सरकार के विशेष सचिव